राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
65/2024	30.09.2024	14.10.2025

बउनवान

1. अशोक कुमार पुत्र शिवलहरी, निवासी कोट, तहसील मण्डावर, दौसा हाल निवासी एडी 41 शिवाजी नगर, लेबर कॉलोनी, जिला पाली।

..प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमदेवी पुत्र शिवलहरी पत्नी कैलाश चन्द, निवासी कोट हाल निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. सावित्री देवी पुत्री शिवलहरी पत्नी मोहनलाल, निवासी कोट हाल साडोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर।
3. आशिया पत्नी छोटे खां, निवासी कोट, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम कोट तहसील मण्डावर का मूल निवासी है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 भी इसी ग्राम कोट के मूल निवासी है। प्रार्थी की ग्राम कोट तहसील मण्डावर में कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात खाता सं. नया 392 के खसरा सं. 1361 रकबा 0.34 हैक्टे., 1363 रकबा 0.01 हैक्टे., 1364/2768 रकबा 0.21 हैक्टे., 1365 रकबा 0.64 हैक्टे. तथा 1728/2770 रकबा 0.91 हैक्टे., कुल किता 05, कुल रकबा 2.11 हैक्टे. है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 अपनी कम ज्यादा भूमि बांटकर काबिज काश्त है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं होने के कारण पक्षकारान के बीच विवाद बना हुआ है क्योंकि प्रार्थी के पास हिस्से अनुसार सडक के पास की भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी के छोटे भाई सुरेश चन्द ने सड़क के किनारे का अपना 1/4 हिस्सा पूर्व में ही बिना विधिवत तकास्मा करवाये अप्रार्थी सं. 3 को बेचान कर दिया जिससे अब प्रार्थी को काश्त करने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी जब भी अपने हिस्से की आराजीयात पर काश्त करने आता है तो अप्रार्थी सं. 2 व 3 अन्य दीगर व्यक्तियों के साथ आकर, प्रार्थी को आराजी भूमि में काश्त नहीं करने देते, जान से मारने की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

धमकी देकर भूमाफियाओं से कब्जा करवा देने की धमकी देते है। प्रार्थी दिनांक 17.09.2024 को अपने हिस्से की आराजीयात में बोई गई फसल की देखभाल के लिए गया तो अप्रार्थी सं. 2 व 3 भी वहीं मौजूद थे जिन्होंने प्रार्थी से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, हम तुम्हारे हिस्से की आराजीयात पर भूमाफियाओं का कब्जा करवा के सडक के पास वाली सारी भूमि को बिना विधिवत बंटवारे के सडक के पास वाली भूमि को बेचकर तुम्हारे रास्ते को बंद करवायेंगे। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से कहा कि इस भूमि का सहमति से विधिवत बंटवारा करवा लेते हैं और सभी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी–अपनी जगह काबिज हो जाओ परंतु समस्त अप्रार्थीगण तकास्मा कराने को तैयार ही नहीं है जिससे प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। इसलिए बिना किसी देरी के यह दावा न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3, प्रार्थी को दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होती है। प्रार्थी विवादित आराजीयात में खातेदार काश्तकार है जिसका प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा तादौराने दावा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन, नामान्तरण में बदलाव की कार्यवाही न करें, खाम व पुख्ता निर्माण न करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि पर प्रार्थी को बुवाई, जुताई करने तथा फसल को काटने के समय किसी प्रकार का झगड़ा–फसाद ना करने, किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा ना करे, किसी दीगर व्यक्ति को रहन–बय न करें तथा किसी भी प्रकार का रहननामा, बयनामा, विकयपत्र आदि को बहैसियत पंजीयन अधिकारी, पंजीयन करने से तथा भूमिधारी राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की तब्दीली ना करें और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 30.09.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1361, 1363, 1364/2768, 1365 तथा 1728/2770 कुल रकबा 2.11 हैक्टे. में पुख्ता निर्माण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है, इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, विवादित आराजीयात में प्रार्थी 1/4 हिस्से का दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि विवादित आराजीयात का अप्रार्थीगण के द्वारा दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1361, 1363, 1364/2768, 1365, 1728/2770 के सम्बन्ध

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.09.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात में पुख्ता निर्माण नहीं करेंगे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 14.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)